

12.11.16

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में
इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओउप0

आरोपीगण सहित श्री एम0एस0यादव उप0

फरियादी अखलेश सिंह उप0

प्रकरण आज राजीनामा आवेदन पर आदेश

हेतु नियत है एवं आदेश किया जा रहा है।

प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा

द0प्र0स0की धारा320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन

मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा किये जाने

का निवेदन किया गया।

Witness No.

Description Sheet No.

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी सतेन्द्र सिंह, दलवीर सिंह उर्फ बलवीर, रिकू सिंह, एवं विनोद सिंह के विरुद्ध भादस की धारा 294, 341, 323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। फरियादी अखलेश सिंह ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया गया है। राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोक नीति के अनुरूप है। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई।

राजीनामा के आधार पर आरोपी सतेन्द्र सिंह, दलवीर सिंह उर्फ बलवीर, रिकू एवं विनोद सिंह को भादस की धारा 294, 341, 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत मुचलके भारहीन किये गये।

प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

क.2-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क्र024 गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0